कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड–मेरठ ।

पत्रांक–1309 / ग्रा0अ0वि0 / एस0टी0 / निविदा / 2014–15 / दिनॉक: : 04.10..2014

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–05

1. महामहिम राज्यपाल, उ0प्र0 की ओर से अधोहस्ताक्षरी के द्वारा निम्नलिखित स्वीकृत / स्वीकृति की प्रत्याशा में निर्माण कार्यो हेतु मुहरबन्द निविदायें प्रतिशत दर में अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर–प्रदेश में श्रेणी–ए,बी,,सी,,एवं डी में पंजीकृत ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती हैं। निविदादाता एक या एक से अधिक कार्यो के लिए निविदा डाल सकता है ।

2.

क0 सं0	जनपद	कार्य का नाम	आकलित धनराशि (रू0 लाख में)	धरोहर धनराशि	स्टेश0 मूल्य+ निविदा मूल्य+ वैट	कार्य पूर्ण करने की अवधि	कार्य सम्पादन हेतु अधिशासी अभियन्ता का पता	अधीक्षण अभियन्ता का पता	जिला धिकारी क पता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना वर्ष 2013–14 में चयनित निम्नलिखित ग्रामों में सीमेन्ट कंकरीट रोड़ व नाली निर्माण का कार्य (कम संख्या–01 से 10 तक)					ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, विकास भवन मेरठ	ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, थापर नगर मेरठ	जिला –धिकारी मेरठ
1	मेरठ	ग्राम खन्द्रावली (विकास खण्ड–खरखौदा)	22.97	46000.00	500 + 300 + 100	तीन माह	,,	,,	,,
2	,,	ग्राम मुण्डाली (विकास खण्ड–खरखौदा)	30.67	61400.00	500 + 300 + 100	तीन माह	,,	,,	,,
3	,,	ग्राम धनपुरा (विकास खण्ड–परीक्षितगढ़)	22.97	46000.00	500 + 300 + 100	तीन माह	,,	,,	,,
4	,,	ग्राम सौंदत्त (विकास खण्ड–परिक्षितगढ)	27.51	55100.00	500 + 300 + 100	तीन माह	,,	,,	,,
5	,,	ग्राम अटौरा (विकास खण्ड–मवाना)	22.97	46000.00	500 + 300 + 100	तीन माह	,,	,,	,,
6	,,	ग्राम पचगॉव पट्टी अमर सिंह (विकास खण्ड–रजपुरा)	22.97	46000.00	500 + 300 + 100	तीन माह	,,	,,	,,
7	,,	ग्राम चिन्दौडी टप्पा लावड (विकास खण्ड–दौराला)	16.22	32500.00	500 + 300 + 100	तीन माह	,,	,,	,,
8	,,	ग्राम मेहरमती गणेशपुर (विकास खण्ड–सरूरपुर)	22.97	46000.00	500 + 300 + 100	तीन माह	,,	,,	,,
9	,,	ग्राम मौहम्मदपुर धूमी (विकास खण्ड–जानी खुर्द)	22.97	46000.00	500 + 300 + 100	दो माह	,,	,,	,,
10	,,	ग्राम रार्धना इनायतपुर (विकास खण्ड–माछरा)	30.67	61400.00	500 + 300 + 100	तीन माह	,,	,,	,,
11	,,	डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत ग्राम कुढला में ऑगनवाडी केन्द्र भवन का निर्माण(प्रथम) (वि0ख0–मेरठ)	4.35	8700.00	500 + 150 + 81	साढे चार माह	,,	,,	,,
12	,,	डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत ग्राम कुढला में ऑगनवाडी केन्द्र भवन का निर्माण(द्वितीय) (वि0ख0–मेरठ)	4.35	8700.00	500 + 150 + 81	साढे चार माह	,,	,,	,,

E.E.

D.I.O.: N.I.C.
Please upload Document on the District Meerut website.

मुख्य विकास अधिकारी
मेरठ

13	"	ग्राम कुण्डा नगरीय क्षेत्र वार्ड--11 में रेलवे लाईन से शमशान घाट तक खडण्जा (विकास खण्ड--मेरठ)	4.30	8600.00	500 + 150 + 81	तीन माह	"	"	"
14	"	ग्राम फफुण्डा में दलित बस्ती को जोडने वाले मुख्य मार्ग पर सी0सी0 इण्टरलाकिंग कार्य (विकास खण्ड--मेरठ)	7.04	14100.00	500 + 225 + 91	तीन माह	"	"	"
15	"	ग्राम शौंदत्त में हाफिज तय्यब के मकान से अजहार पुत्र जमशेद के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य (विकास खण्ड--परिक्षितगढ)	6.59	13200.00	500 + 225 + 91	चार माह	"	"	"
16	"	ग्राम भोला की झाल के पास यात्री शैड का निर्माण (विकास खण्ड--रोहटा)	5.18	10400.00	500 + 225 + 91	चार माह	"	"	"
17	"	विकास खण्ड रोहटा के ग्राम भोला की झाल के पास चबूतरे का निर्माण (विकास खण्ड--रोहटा)	2.00	4000.00	500 + 75 + 72	तीन माह	"	"	"
18	"	ग्राम बहरौडा में हसीन के मकान से हाफिज हारून के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स कार्य (विकास खण्ड--माछरा)	3.00	6000.00	500 + 150 + 81	तीन माह	"	"	"
19	"	ग्राम बिजौली में मेन रोड से दयागिरी के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स कार्य (विकास खण्ड--खरखौदा)	10.30	20600.00	500 + 225 + 91	तीन माह	"	"	"

3. प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्षाऋतु को शामिल करते हुए कालम नं0--7 में वर्णित है ।

4. निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिवस होगी । एक बार प्रस्तुत की गई निविदा वापस नहीं ली जा सकती है ।

5. कार्य से सम्बन्धित निविदा प्रपत्र सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, एवं जिलाधिकारी के कार्यालय से जैसा कि कालम 8,9 एवं 10 में अंकित है, से दिनॉक **27.10.14 से 29.10.14** तक प्रातः **10.00** बजे से सांय **4.00** बजे के मध्य किसी भी कार्यदिवस में गैर वापिसी शुल्क **500.00 (पांच सौ रू0 मात्र)** स्टेशनरी शुल्क एवं निविदा प्रपत्र शुल्क प्रति कार्य हेतु जैसा कि कालम संख्या--06 में दर्शाया गया है में नगद एस0बी0आई0 बैंक के नाम बैंक ड्राफ्ट जो अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, मेरठ के पक्ष में भुगतान हेतु देय होगा। ठेकेदार जो अन्य जानकारियॉ प्राप्त करना चाहते हैं वह जहॉ से निविदा प्रपत्र खरीदे जायेगें वहीं से प्राप्त कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र पंजीकृत डाक से अथवा स्पीड पोस्ट से मंगाये जाने की अवस्था में ठेकेदार को दिनॉक **27.10.14 को सांय 4.00 बजे से** पूर्व रू0 **200.00** अतिरिक्त जमा करने होगें । डाक से निविदा मंगाने की अवस्था में डाक वितरण अथवा प्राप्ती में किसी प्रकार का विलम्ब होने पर अधोहस्ताक्षरी जिम्मेदार नहीं होगा । निविदा प्रपत्र वेबसाईट से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं । जिसके लिए 500.00रू0 का स्टेशनरी शुल्क एवं निविदा प्रपत्र शुल्क प्रति कार्य हेतु जैसा कि कालम 6 में दर्शाया गया है नगद, एस0बी0आई0बैंक के नाम बैंक ड्राफ्ट जो अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, मेरठ के पक्ष में भुगतान हेतु देय होगा जो निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न की जायेगी । निविदा प्रपत्र वेबसाईट से डाउनलोड की अवस्था में ड्राइंग अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय जैसा कि कालम 8 में दर्शाया गया है, से सम्बन्धित कार्य हेतु प्राप्त की जा सकती है ।

6. वेब साइट पर निविदा प्रपत्र डाउन लोड की अवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर सम्बन्धित कार्यालय में उपलब्ध निविदा प्रपत्र प्रमाणिक मानी जायेगी । वेबसाईट से डाउनलोड की अवस्था में ड्राइंग सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय जैसा कि कालम 8 में दर्शाया गया है से सम्बन्धित कार्य हेतु प्राप्त की जा सकती है ।

7. निविदायें कार्यकारी अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता अथवा जिलाधिकारी के कार्यालय में जिनके पते कमशः कालम--8,9 व 10 में अंकित हैं को दिनॉक 30.10.14 (दोपहर 3.00 बजे तक निविदा पेटिका में डाली जायेगी जो दिनॉक **31.10.14** को दोपहर 12.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय)(जैसा कि कालम नं0--8 में दर्शाया गया है) में निविदादाताओं (जो उपस्थित होना चाहते हैं) के समक्ष खोली जायेगीं तथा निविदा प्राप्ती अथवा खोलने की तिथि पर कार्यालय यदि बन्द होता है तो निविदायें अगले कार्यकारी दिवस में निर्धारित समय व स्थान पर प्राप्त और खोली जायेगी तथा निविदाओं की वैधता मूल तिथि से मानी जायेगी।

8. प्रत्येक निविदा के साथ धरोहर धनराशि जैसा कि कालम--5 में दर्शाया गया है को संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो एन0एस0सी0 / एफ0डी0आर0 के रूप में कार्यकारी अधिशासी अभियन्ता,ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, मेरठ के पक्ष में बन्धक होगी

9. ऐसे निविदादाता जिनका कोई सगा सम्बन्धी जैसा कि खण्डीय लेखाधिकारी, अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता के पद पर आसीन होगें को कार्य करने की अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी । निविदादाता को इस सम्बन्ध में नाम तथा पद सहित कार्यकारी रिश्तेदार का एफेडेविट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जो कि खण्ड अथवा वृत्त में कार्यरत हैं ।

मुख्य विकास अधिकारी
मेरठ

E.E.

10. विद्युत के कार्य हेतु निविदा विभाग के पंजीकृत ठेकेदारों के साथ–साथ पी0डब्लू0डी0, यू0पी0पी0सी0एल0 तथा एम0ई0एस0 में पंजीकृत ठेकेदारों से भी आमन्त्रित की जाती हैं

11. ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की सेवा से दो साल सेवा निवृत्ति के पूर्ण नहीं हुए हैं, को कार्य करने की अनुमति बिना राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार की अनुमति बिना नहीं दी जायेगी । यदि कोई सेवा निवृत्ति अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुए पाये जायेगें तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी ।

12. निविदा प्रपत्र तथा अन्य विवरण जैसे अर्हता, कार्य की विशिष्टियॉ, ड्रॉइंग विभिन्न कार्यो के बिल ऑफ क्वान्टिटी जो कार्य किया जाना है के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में जैसा कि कालम 8 में दर्शाया गया है को कार्य समय 11.00 बजे से 4.00 बजे तक दिनॉक **27.10.14 से 29.10.14** तक देखी जा सकती हैं ।

13. अपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाता को निविदा प्रकिया मे भाग लेने की अनुमति नहीं होगी ।

14. कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार कोन्सिल में पंजीकृत है वह निविदा प्रकिया में भाग नहीं ले सकेगा ।

15. दस लाख से ऊपर के कार्यो के लिए प्रत्येक निविदादाता को प्रत्येक कार्य के लिए (संलग्न–1) के अनुसार निर्धारित प्राफार्मा पर सारी सूचनायें एफेडेविट के रूप में देनी होगीं । जिससे कि निविदादाता की बिड कैपेसिटी (कार्य करने की निविदा क्षमता) आंकलित की जा सके । प्रत्येक निविदादाता को निविदा डालने से पूर्व बिड कैपेसिटी के लिए स्वयं को संतुष्ट करना होगा । बिड क्षमता सेक्शन 3 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप आंकलित की जायेगी जो निविदादाता आवश्यक बिड कैपेसिटी को पूर्ण नही करते हैं उनकी निविदा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जायेगी ।

16. निविदादाता को प्रत्येक निविदा प्रपत्र के सारी सूचनायें प्रपत्र निर्धारित प्राफार्मा (टी–4, टी–5, टी–6) जमा करना अनिवार्य होगा ।

17. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी ।

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रा0अ0वि0,प्रखण्ड–मेरठ।

पंत्राक एंव दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– सबधित माननीय सांसद/विधायक ।
2. सूचना निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर–प्रदेश, लखनऊ ।
3– निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
4– मुख्य अभियन्ता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5– अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, मेरठ परिमण्डल, मेरठ ।
6– जिलाधिकारी महोदय मेरठ की सेवा में अवलोकनार्थ ।
7. मुख्य. विकास अधिकारी, मेरठ ।
8– अधिशासी अभियंता, प्रांतीय/निर्माण खण्ड,लोक निर्माण विभाग, मेरठ ।
9– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, (एन0आई0सी0) मेरठ ।
10– समस्त सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड मेरठ ।
11– कैशियर, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड मेरठ ।
12– नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रा0अ0वि,प्रखण्ड–मेरठ।